"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 317] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 11 जून 2026 — ज्येष्ठ 21, शक 1948

जेल विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 8 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-503/3/2026-O/O SECTION JAIL.— कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) के धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में, –

नियम 358 के उप–नियम (6) के खण्ड (नौ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् –

''(नौ) एक से अधिक हत्या के लिए सिद्ध दोष।''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुसुम एक्का, उप–सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 8th June 2026

NOTIFICATION

No. RULE-503/3/2026-O/O SECTION JAIL.— In exercise of the powers conferred by section 59 of the Prison Act,1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968 namely :-

AMENDMENT

In the said rules :-

For Clause (ix) of sub-rule (6) of rule 358 the following shall be substituted, namely :-

''(ix) Convicted for more than one murder.''

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KUSUM AKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.